समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

ज्ञापांक................ दिनांक..................

प्रेषित,

1.पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत चित्ती,प्रखंड घैलाढ़

2.पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत श्रीनगर, प्रखंड घैलाढ

3.पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत रतनपुरा, प्रखंड घैलाढ

4.पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत अर्राहा, प्रखंड घैलाढ़

5.पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत भतरंधा परमानन्दपुर प्रखंड घैलाढ़

6.पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत बराही प्रखंड मधेपुरा।

विषयः- शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड के सत्यापन में बरती जा रही लापरवाही के निमित्त स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 295/आ0 दिनांक 11.04.2016 द्वारा SECC डाटा के आधार निर्गत राशन कार्ड के सत्यापन हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति करते हुए नगर परिषद, मधेपुरा में राशन कार्ड सत्यापन कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा वांछित सत्यापन प्रतिवेदन अभी तक कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है।

राशन कार्ड सत्यापन संबंधी दिनांक 11.06.2016 को समीक्षात्मक बैठक में भी आप अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित पाये गये। आपकी अनुपस्थिति के कारण उक्त सत्यापन से संबंधित कार्य की समीक्षा नही हो पाई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा उक्त कार्य में शिथिलता बरती जा रही है, जो आपके कार्याकलाप के लापरवाही का द्योतक एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर आवंटित वार्डो की राशन कार्ड का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अभी तक उक्त कार्य पुरा नही किये जाने के निमित्त अपना स्पष्टीकरण प्रत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर समर्पित करे कि क्यों नही राहरी क्षेत्र में राशन कार्ड सत्यापन इस विलंब के चलते आपकी अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 466 /आ0 मधेपुरा, दिनांक 16.06.2016

प्रतिलिपिः- कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा, घैलाढ़/मधेपुरा को सूचनार्थ । निदेश है कि पत्र की तमिला अपने स्तर से संबंधित कर्मियों को करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 24 घंटा के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितो ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

15/6/16

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।